न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्या:– 264/2008 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2008/00001), पीठासीन अधिकारी:– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

छित्ती पुत्र घूरी जाति जाट नि0 ग्राम मवई तहसील जनूथर –मृतक

1. लाल सिंह
2. गुलाब सिंह
3. ओमप्रकाश — पुत्रगण छित्ती
4. जल सिंह
5. प्रेमवती पत्नी स्व0 छित्ती

जातियान जाट नि0 मवई तहसील जनूथर जिला डीग

–वादी

बनाम

1. गंगादान पुत्र उत्तम
2. गंगासहाय पुत्र गिर्राज –मृतक
   - 2/1. ठाकुरलाल
   - 2/2. परसोत्तम — पुत्रगण गंगासहाय
   - 2/3. नन्दराम
   - 2/4. जैको पत्नी गंगासहाय
   - 2/5. ललिता पुत्री गंगासहाय पत्नी हरीराम जाति जाट नि0 ग्राम मंगोर्रा तहसील गोवर्धन(मथुरा)

   जातियान जाट नि0 मवई तहसील जनूथर
3. राजाराम पुत्र गिर्राज
4. जगदीश पुत्र गिर्राज
5. मोती पुत्र राजकुमार
6. बच्चू पुत्र राजकुमार –मृतक
   - 6/1. रनधीर
   - 6/2. संजय — पिस0 स्व0 बच्चू
   - 6/3. प्रेम पत्नी स्व0 बच्चू
   - 6/4. रामवती पुत्री बच्चू पत्नी जाति जाट नि0 लोरिया तहसील गोवर्धन जिला मथुरा(उ0प्र0)
   - 6/5. सपना पुत्री बच्चू पत्नी भानू जाति जाट नि0 ग्राम दहगॉव तहसील होडल जिला पलवल

   जातियान जाट नि0 मवई तहसील जनूथर
7. अनूप सिंह पुत्र विजय पुत्र राजकुमार
8. फूलचन्द
9. बदन
10. हंसराज
11. राधेश्याम

पुत्रगण रामखिलाडी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

12. जगवीर पुत्र रामखिलाडी –मृतक

12/1. लोकेश
12/2. कुलदीप } पिस0 जगवीर
12/3. मुल्लो पत्नी स्व0 जगवीर
13. मुक्खो पत्नी हुब्बलाल
14. दान सिंह पुत्र हुब्बलाल
15. तुहीराम पुत्र सन्डा
16. सोहनलाल पुत्र नत्थी पुत्र कण्डेरा –मृतक
16/1. नवल
16/2. देवेन्द्र
16/3. मनोहर } पुत्रगण सोहनलाल
16/4. सुभाष

जातियान जाट नि0 मवई तहसील जनूथर

16/5. वीरवती पत्नी स्व0 स्व0 सोहनलाल
16/6. महादेवी पुत्री सोहनलाल पत्नी गुलवीर
16/7. मंजेश पुत्री सोहनलाल पत्नी गुलवीर } जातियान जाट नि0 गुद्दर पो0 राया(मथुरा)उ.प्र.
17. भुल्ली पुत्र नत्थी पुत्र कण्डेरा जाति जाट नि0 मवई तहसील जनूथर
18. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कॉमा गेट कस्बा डीग जरिये शाखा प्रबंधक

–प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट,,

निर्णय दिनांकः 12.03.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 753/0.11, 1159/0.19, 1179/0.23, 745/0.03, 406/0.23, 407/0.16, 744/0.15, 939/0.11, 940/0.04, 950/0.33, 978/0.58, 400/0.27, 88/0.30, 392/0.22, 766/0.16, 74/0.41, 934/0.08, 85/0.36, 60/0.53, 62/0.53, 63/0.24, 64/0.57, 926/0.10, 927/0.04, 928/0.03, 132/0.72, 921/0.06, 922/0.07, 923/0.09, 735/0.13, 24/0.62, 25/0.59, 101/0.40, 129/0.30, 946/0.10, 947/0.37, 135/0.41, 136/0.40, 137/0.21, 128/0.65, 1163/0.20, 1165/0.24, 139/0.19 वाके ग्राम मवई तहसील डीग में स्थित है। वादी के बाबा तथा प्रति0 संख्या 1 लगायत 12 के परवावा घनश्याम की मृत्यु करीब 66 साल पूर्व हुई थी तथा घनश्याम के पुत्र घूरी व ग्यासी की घनश्याम से करीब 2–3 साल पूर्व मृत्यु हो गई थी इसलिए वादी के बाबा तथा प्रति0 संख्या 1 लगायत 12 के परवाबा घनश्याम के देहान्त के बाद घनश्याम के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी का दाखिल खारिज संख्या 50 सम्वत 2000 में घूरी के लडकों वादी तथा वादी के खास भाई उत्तम पिता प्रति0

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

संख्या 1 तथा गिर्राज पिता प्रति0 संख्या 2 लगायत 4 के पक्ष में हि0 1/2 का तथा ग्यासी के लडकों रामकुमार व रामखिलाडी के पक्ष में हि0 1/2 का तस्दीक हो गया था, लेकिन बाद में हल्का पटवारी की गलती से बिना किसी कारण वादी का नाम विवादित आराजी में से वादी के हिस्से की आराजी का इन्द्राज काश्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 753/0.11, 1159/0.19, 1179/0.23, 745/0.03, 406/0.23, 407/0.16 के हिस्सा 1/2 तथा खसरा नम्बर 926/0.10, 927/0.04, 928/0.03 के हिस्सा 1/4 तथा आराजी खसरा नम्बरान 744/0.15, 939/0.11, 940/0.04, 950/0.33, 978/0.58, 400/0.27, 88/0.30, 392/0.22, 766/0.16, 74/0.41, 934/0.08, 85/0.36, 60/0.53, 62/0.53, 63/0.24, 64/0.57, 132/0.72, 921/0.06, 922/0.07, 923/0.09, 735/0.13, 24/0.62, 25/0.59, 101/0.40, 129/0.30, 946/0.10, 947/0.37, 135/0.41, 136/0.40, 137/0.21, 128/0.65, 1163/0.20, 1165/0.24, 139/0.19, सालिम के हिस्सा 1/3 पर वादी तथा हि0 1/3 पर प्रति0 संख्या 1 तथा हि0 1/3 पर प्रति0 संख्या 2 लगायत 4 व हि0 बरावर काबिज बतौर खातेदार काश्तकार पूर्वजों के समय से ही तथा सम्बत 2012 के पूर्व से चले आ रहे है उक्त विवादित आराजी वादी तथा प्रति0 संख्या 1 लगायत 4के हिस्से व बट में आपसी मनबट तथा वाहमी बंटवारे के आधार पर आई हुई है तथा प्रति0 के हिस्से व बट में दीगर आराजी आई है जिस पर प्रति0 काबिज है तथा इस वक्त मौके पर भी उक्त विवादित आराजी के हि0 1/3 पर वादी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है तथा हि0 1/3 पर प्रति0 संख्या 1 का कब्जा काश्त है तथा हि0 1/3 पर प्रति0 संख्या 2 लगायत 4 का कब्जा व हि0 बरावर बतौर खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के हि0 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड में अंकित करा पाने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज काश्त व हक प्रति0 संख्या 1 लगायत 7 तथा हक प्रति0 संख्या 13 लगायत 17 जो अंकित किया जा रहा है वह गलत है जोकि काबिले खिलाफ कानून व वेअसर करार दिया जाकर काबिले कलमजन है। विजय पुत्र रामकुमार की मृत्यु हो गई है इसलिए उसके लडके उसके वारिस प्रति0 संख्या 7 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा मु0 लहर कौर बेबा रामकुमार की भी मृत्यु हो गई है जिसके वारिसान प्रति0 संख्या 5 लगायत 7 है। विवादित भूमि में से कुछ हि0 प्रति0 संख्या 18 के पक्ष में रहन रहने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 753/0.11, 1159/0.19, 1179/0.23, 745/0.03, 406/0.23, 407/0.16 के हिस्सा 1/2 तथा खसरा नम्बर 926/0.10, 927/0.04, 928/0.03 के हिस्सा 1/4 तथा आराजी खसरा नम्बरान 744/0.15, 939/0.11, 940/0.04, 950/0.33, 978/0.58, 400/0.27, 88/0.30, 392/0.22, 766/0.16, 74/0.41, 934/0.08, 85/0.36, 60/0.53, 62/0.53, 63/0.24, 64/0.57, 132/0.72, 921/0.06, 922/0.07, 923/0.09, 735/0.13, 24/0.62, 25/0.59, 101/0.40, 129/0.30, 946/0.10, 947/0.37, 135/0.41, 136/0.40, 137/0.21, 128/0.65, 1163/0.20, 1165/0.24, 139/0.19, सालिम के हिस्सा 1/3 पर वादी तथा हि0 1/3 पर प्रति0 संख्या 1 तथा हि0 1/3 पर प्रति0 संख्या 2 लगायत 4 वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज काश्त व हक प्रति0 संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 7 व प्रति0 संख्या 13 लगायत 17 के पक्ष में जो अंकित किया जा रहा को कलमजन किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 22.01.2009 को प्रति0 संख्या 1, 2, 8, 9 की ओर श्री नरेन्द्र सिंह अधवक्ता द्वारा इकबालदावा मय वकालतनामा पेश किया गया। प्रति0 संख्या 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17 के द्वारा दिनांक 05.02.2009 को उपस्थित अदालत आकर इकबालदावा पेश किया गया। बाबजूद सूचना व तामील के उपस्थित अदालत नहीं आने पर प्रति0 संख्या 13, 14, 15 के विरूद्व दिनांक 12.05.2009 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 28.10.2009 को प्रति0 संख्या 18 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू–1,वादी छिद्वी व पीडब्ल्यू–2 गवाह कमल सिंह व पीडब्ल्यू–3,लक्ष्मन सिंह के बयान पंजीबद्व किये गये। दिनांक 21.06.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. पेश किया गया जिसे दिनांक 21.07.2011 को स्वीकार किया गया। सम्बन्धित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 28.04.2016 को प्रति0 संख्या 13 लगायत 15 को दावे से तर्क किया गया। दिनांक 23.02.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 जा.दी. तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. को वाद सुनवाई स्वीकार किया गया। दिनांक 17.08.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. को दिनांक 20.09.2022 को स्वीकार किया गया। प्रति0 संख्या 2/4, 12/1, 16/3, 16/5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 संख्या 2/5, 6/1 से 6/5, 12/2, 12/3, 16/1, 16/2, 16/4, 16/6, 16/7, व 18 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब किया गया तथा पक्षकार अधिवक्ता द्वारा ट्रेक रिपोर्ट पेश की गई। बावजूद सूचना अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 03.03.2025 को प्रति0 संख्या 2/1, 2/2, 2/3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 03.03.2025 को वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील वादीगण ने बताया कि सभी प्रति0 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है तथा दावे में पक्षकार के द्वारा इकबालदावा पेश किया जा चुका है। दावे को इकबाल दावे के आधार पर डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रस्तुत इकबालदावा का अवलोकन किया गया तथा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत इकबालदावे के आधार पर हम दावा वादीगण को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य/मुताविक इकबालदावा सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। ग्राम मवई तहसील जनूथर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 753/0.11, 1159/0.19, 1179/0.23, 745/0.03, 406/0.23, 407/0.16 के हिस्सा 1/2 तथा खसरा नम्बर 926/0.10, 927/0.04, 928/0.03 के हिस्सा 1/4 तथा आराजी खसरा नम्बरान 744/0.15, 939/0.11, 940/0.04, 950/0.33, 978/0.58, 400/0.27, 88/0.30, 392/0.22, 766/0.16, 74/0.41, 934/0.08, 85/0.36, 60/0.53,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

62/0.53, 63/0.24, 64/0.57, 132/0.72, 921/0.06, 922/0.07, 923/0.09, 735/0.13, 24/0.62, 25/0.59, 101/0.40, 129/0.30, 946/0.10, 947/0.37, 135/0.41, 136/0.40, 137/0.21, 128/0.65, 1163/0.20, 1165/0.24, 139/0.19, सालिम के हिस्सा 1/3 पर वादी तथा हि0 1/3 पर प्रति0 संख्या 1 तथा हि0 1/3 पर प्रति0 संख्या 2 लगायत 4 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में प्रति0 संख्या 1 लगायत 7 व प्रति0 संख्या 13 लगायत 17 के पक्ष में जो अंकित किया जा रहा को कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner